Draughtsman Gr. III

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मई, 2018

सा.का.नि. 192.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, नक्शानवीस श्रेणी-III, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, नक्शानवीस श्रेणी-III, समूह 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, नक्शानवीस श्रेणी-III, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 में, -

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।"

(ii) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात:-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नक्शानवीस श्रेणी-III	01* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग') अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-4 (रु.25500)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	**आवश्यक:** (i) मान्यता - प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन; (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्ष का डिप्लोमा या प्रमाणपत्र (सिविल) । **वांछनीय** : मान्यता-प्राप्त संगठन से नक्शानवीस के रूप में एक वर्ष का अनुभव ।

					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने ले लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- **1.** निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -अध्यक्ष **2.** प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -सदस्य **3.** केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग से समूह 'क' अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए. 31013/06/2017/जीडबल्यूई]

ए. के. वाही, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 245, तारीख 19 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 7th May, 2018

G.S.R. 192.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Draftsman Grade-III, Group-'C' Post, Recruitment Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Ground Water Board Draftsman Grade-III, Group 'C' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Draftsman Grade-III Group 'C' post, Recruitment Rules, 2011 —

(i) for rule 2, the following shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification and level in pay matrix.–The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".;

(ii) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Draftsman Grade-III	1*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C'), non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-4 (Rs.25500).	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years and in case of general candidates and upto 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall in case be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti	**Essential:** (i) Matriculation from a recognized Board ; (ii) two years Diploma or Certificate (Civil) from the Industrial Training Institute. Desirable: One year experience as draftsman in a recognised organization. **Note:** The qualification regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any	Not applicable	Two years

D..trict and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age limit in case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Direct recruitment	Not applicable	Group' C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:- (i) Director (Administration), Central Ground Water Board– Chairman; (ii) Administrative Officer, Central Ground Water Board – Member. (iii) A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central Government – Member.	Not applicable.

[F. No. A.31013/06/2017-GWE]

A. K. WAHI, Under Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 245 dated the 19th August, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.06.25 16:49:34 +05'30'